<u>न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कार पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा **765 के.व्ही. द्वी परिपथ झारसुगुड़ा– धरमजयगढ़ (कोरबा) पारेषण लाइन 2 निर्माण** हेत 33.7057 हे. वन भूमि की मांग वनमंडल **धरमजयगढ़** के वन क्षेत्र में की गई है । इस संबंध में सभी अनुकल्पो / विकल्पो का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित कार्य हेतु वन भूमि की मांग **न्यूनतम** एवं अपरिहार्य है ।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
की ओर से
एस. के. कामिला/S. K. KAMILA
सहा. महाप्रबंधक (उ.के.–टी.एल.सी.)/
ASSTT. G. M. (S.S. & TLC)
पॉवर ग्रिड, कोरबा/POWER GRID, KORBA

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
रायगढ़ (छ.ग.)

(115)

“वनभूमि उत्पादकता या इसकी कमी के बारे में विस्तृत नोट”
“A detailed note on soil productivity or the lack of it”

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड द्वारा 765 के.व्ही द्वी परिपथ झारसुगुड़ा से धरमजयगढ़ (कोरबा) पारेषण लाइन-2 तक संचरण पथ का निर्माण किया जा रहा है जिसके अंतर्गत धरमजयगढ़ वनमण्डल के छाल एवं लैलुंगा वन परिक्षेत्र में वन एवं राजस्व वनभूमि प्रभावित हो रही है जिसका कुल रकबा 33.7057 हेक्टेयर है। प्रस्तावित वनभूमि में पारेषण लाईन के मार्ग में प्रभावित वृक्षों का औसतन घनत्व 0.2 से 0.6 के मध्य है एवं प्रभावित वन क्षेत्र में साजा, चार, पलास, महुआ तथा अन्य मिश्रित प्रजाति के जलाऊ वृक्ष सम्मिलित हैं। उक्त विद्युत लाईन धरमजयगढ़ वनमण्डल के अधिकतर पहाड़ी एवं गैर कृषी भूमि से होकर गुजर रही है जिसका उपरी सतह कड़ी और मुरमी किस्म की है। विद्युत लाईन के निर्माण के लिये प्रस्तावित तीन विकल्पों में से न्यूतम वनभूमि वाले विकल्प का चयन किया गया है जिस से वन क्षेत्र को कम से कम हानि हो।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड
(डीओआर)

एस. के. कामिला / S. K. KAMILA
सहा. महाप्रबंधक (उ.के.-टी.एल.सी.)/
ASSTT. G. M. (S.S. & TLC)
पॉवर ग्रिड, कोरबा/POWER GRID, KORBA

वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
रायगढ़ (छ.ग.)

वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) 765 के.व्ही द्वी परिपथ झारसुगुड़ा से धरमजयगढ़ (कोरबा) पारेषण लाइन-2 तक संचरण पथ,जो वनमंण्डल धरमजयगढ़ से होकर गुजर रही है, के निर्माण हेतु आवेदित वन एवं राजस्व वन के अंतर्गत कोई ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर प्रभावित नहीं है।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(की ओर से)

एस. के. कामिला/S. K. KAMILA
सहा. महाप्रबंधक (उ.के.-टी.एल.सी.)/
ASSTT. G. M. (S.S. & TLC)
पॉवर ग्रिड, कोरबा/POWER GRID, KORBA

वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
रायगढ़ (छ.ग.)

(106)

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के अंदरराष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, हाथी कोरीडोर, ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र नही होने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा 765 के.व्ही द्वी परिपथ झारसुगुड़ा से धरमजयगढ़ (कोरबा) पारेषण लाइन-2 तक संचरण पथ के निर्माण हेतु आवेदित वन एवं राजस्व वनभूमि के 10 कि.मी. के परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र आदि प्रभावित नहीं हो रहा है।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(की ओर से)

एस. के. कामिला / S. K. KAMILA
सहा. महाप्रबंधक (उ.के.-टी.एल.सी.)/
ASSTT. G. M. (S.S. & TLC)
पॉवर ग्रिड, कोरबा/POWER GRID, KORBA

वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
रायगढ़ (छ.ग.)

(80)

अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण

प्रमाणपत्र

प्रमणित किया जाता है कि 765के.व्ही द्वी परिपथ झारसुगुड़ा से धरमजयगढ़ (कोरबा) पारेषण लाइन-2 तक संचरण पथ, जो छत्तीसगढ़ के जिला रायगढ़ में वनमंडल धरमजयगढ़ के वन क्षेत्र से होकर गुजरती है, के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियिम,1980 का उल्लंघन कर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि मांग प्रस्ताव स्वीकृति पूर्व कोई कार्य नहीं किये गये हैं। अधिनियम उल्लंघन कर कार्य करने बाबत कोई अधिकारी दोषी नहीं पाये गये।

अतः वांछित जानकारी निरंक है।

पवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(की ओर से)
एस. के. कामिला / S. K. KAMILA
सहा. महाप्रबंधक (उ.के.-टी.एल.सी.)/
ASSTT. G. M. (S.S. & TLC)
पॉवर ग्रिड, कोरबा/POWER GRID, KORBA

वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
रायगढ़ (छ.ग.)

अधिनियम उल्लंघन अधिकारियों का विवरण

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा 765के.व्ही द्वी परिपथ झारसुगुड़ा– धरमजयगढ़ (कोरबा) पारेषण लाइन-2 के **निर्माण** हेतु अभी तक किये गये कार्यों के दौरान पावर ग्रिड के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया गया है।

अतः वांछित जानकारी निरंक है।

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(की ओर से)

एस. के. कमिला/S. K. KAMILA
सहा. महाप्रबंधक (एस.के.–टी.एल.सी.)/
ASSTT. G. M. (S.S. & TLC)
पॉवर ग्रिड, कोरबा/POWER GRID, KORBA

वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
रायगढ़ (छ.ग.)

कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) के 765के.व्ही द्वी परिपथ झारसुगुड़ा से धरमजयगढ़ (कोरबा) पारेषण लाइन-2 तक संचरण पथ के निर्माण हेतु कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नही है।

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(की ओर से)
एस. के. कामिला/S. K. KAMILA
सहा. महाप्रबंधक (उ.के.–टी.एल.सी.)/
ASSTT. G. M. (S.S. & TLC)
पॉवर ग्रिड, कोरबा/POWER GRID, KORBA

वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
रायगढ़ (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) 765 के.व्ही द्वी परिपथ झारसुगुड़ा से धरमजयगढ़ (कोरबा) पारेषण लाइन-2 तक संचरण पथ के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है।

अतः वांछित जानकारी निरंक है।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(की.ओ.सी.)

एस. के. कल्ला / S. K. KALLA
सहा. महाप्रबंधक (उ.के.-टी.एल.सी.)/
ASSTT. G. M. (S.S. & TLC)
पॉवर ग्रिड, कोरबा/POWER GRID, KORBA

वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
रायगढ़ (छ.ग.)

अधिनियम उल्लंघन कार्यों का विवरण

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा 765के.व्ही द्वी परिपथ झारसुगुड़ा-धरमजयगढ़ (कोरबा) पारेषण लाइन-2 निर्माण हेतु आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः वांछित जानकारी निरंक है।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(वी.आर.सी.)
एस. के. कमिला/S. K. KAMILA
सहा. महाप्रबंधक (उ.के.–टी.एल.सी.)/
ASSTT. G. M. (S.S. & TLC)
पॉवर ग्रिड, कोरबा/POWER GRID, KORBA

वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
रायगढ़ (छ.ग.)

(82)

रिक्लेमेशन प्लान

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) के 765के.व्ही द्वी परिपथ झारसुगुड़ा से धरमजयगढ़ (कोरबा) पारेषण लाइन-2 तक संचरण पथ के निर्माण हेतु रि–क्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नही है।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(की ओर से)
एस. के. कामिला / S. K. KAMILA
सहा. महाप्रबंधक (उ.के.–टी.एल.सी.)/
ASSTT. G. M. (S.S. & TLC)
पॉवर ग्रिड, कोरबा/POWER GRID, KORBA

वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
रायगढ़ (छ.ग.)